पक्षपात वाले अपराध

इसकी रिपोर्ट करें!

NJOAG.gov/BIAS

पक्षपात की घटना क्या होती है?

पक्षपात की घटना या पक्षपात वाले अपराध मूल वंश, रंग, धर्म, लिंग, विकलांगता, लैंगिक-रुझान, लिंग पहचान या अभिव्यक्ति और/या राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी व्यक्ति या संपत्ति (सार्वजनिक या निजी) के विरुद्ध किया जाने वाला एक गैरकानूनी कार्य है।

अगर आप किसी पक्षपात की घटना के शिकार हैं या उसके साक्षी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए?

आपको पहले अपने स्थानीय पुलिस विभाग को किसी भी या सभी संदिग्ध या ऐसी पक्षपात की घटनाओं की रिपोर्ट करनी चाहिए जिनकी पुष्टि हो चुकी है। यदि यह एक आपातकालीन स्थिति है या कोई अपराध प्रगति पर है तो तुरंत 911 पर कॉल करें।

अगर मुझे अपने स्थानीय पुलिस विभाग को रिपोर्ट करने में असहज महसूस होता है, तो क्या होगा?

आप अपने काउंटी प्रोसीक्यूटर (अभियोक्ता) कार्यालय को रिपोर्ट कर सकते हैं। न्यू जर्सी में, प्रत्येक काउंटी प्रोसीक्यूटर (अभियोक्ता) के कार्यालय में पक्षपात अपराध के लिए एक इकाई होती है। इन विशिष्ट इकाइयों में नियुक्त डिटेक्टिव (जासूस) रिपोर्ट प्राप्त करने और सभी पक्षपातपूर्ण घटनाओं की जांच करने के लिए उत्तरदायी हैं। आप न्यू जर्सी अटॉर्नी जनरल कार्यालय वेबसाइट **www.njoag.gov/bias**, पर पक्षपात अपराध पोर्टल **bias.njcivilrights.gov** के माध्यम से या **1-800-277-BIAS** (2427) पर कॉल करके भी पक्षपात की घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं।

क्या मुझे अपना नाम और संपर्क जानकारी बतानी होगी? मुझे क्या रिपोर्ट करना होगा?

नहीं, आपको अपना नाम या संपर्क जानकारी नहीं देनी है, आप गुमनाम रहकर रिपोर्ट कर सकते हैं। पक्षपात की किसी की घटना की रिपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ वही जानकारी देनी होगी जो आप देना चाहते हैं। हालाँकि, आप कानून प्रवर्तन संस्था को जितनी ज्यादा जानकारी देंगे, उनकी जाँच करने की क्षमता उतनी ही बेहतर होगी।

पक्षपात की घटनाओं की रिपोर्ट करना याद रखें :

- आपात स्थिति और चल रहे अपराधों के लिए **911 पर कॉल करें**
- अपने स्थानीय पुलिस विभाग से संपर्क करें
- अपने काउंटी प्रोसीक्यूटर (अभियोक्ता) कार्यालय से संपर्क करें
- NJ अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से संपर्क करें:
  - पक्षपात वाले अपराध की हॉटलाइन है **1-800-277-BIAS** (2427)
  - पक्षपात वाले अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पोर्टल: **bias.njcivilrights.gov**
  - पक्षपात वाले अपराध से संबंधित संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं: **www.njoag.gov/bias**